न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 132/2019

1 महावीर प्रसाद बाजिया आयु 44 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामदेव सिंह आयु 66 वर्ष पुत्र केशर।
2 दयाराम आयु 63 वर्ष पुत्र केशर समस्त जाति जाट निवासीगण फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व डिक्री व निर्णय दिनांकित 22.10.2019
अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 58/2018 बउनवानी
महावीर प्रसाद बनाम रामदेव सिंह वगैरह द्वारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बेरवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 02.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 58/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम फकीरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.04 अवस्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/2 हक व हिस्सा निहित था तथा प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि में 1/2 हक व हिस्सा निहित है। वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 06.02. 2018 को क्रय किया था। वादग्रस्त भूमि में से वादी ने क्रय की दिनांक को ही अपने हक व हिस्से का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 का क्रय करने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के हक को चुनौती देते है और उसका हक व हिस्सा भूमि में से होने से इन्कार करते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में दिनांक 10.09.2018 को मौके पर किन्ही भूमाफिया लोगो को नाप–जोख करवा रहे थे तो वादी ने उक्त भूमि में अपना 1/2 हक हिस्सा जताते हुए मौके पर उसका हक व हिस्सा बंटवारा करके सम्भलाये जाने का निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के क्रयशुद्वा हक हिस्से को इन्कार कर रहे है। वादी को अपनी क्रयशुद्वा भूमि के सम्बंध में खातेदारी उद्घोषित करवाने का हक व अधिकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि मौके पर व राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी व हकदार व्यक्तियों का हक व हिस्सा एवं कब्जा होने की अवधारणा की जाती है। वादी को अपने हक व हिस्सा क्रयशुद्वा भूमि 1/2 को बंटवारा करवाकर अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर दी।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जाने में आपत्ति नही होना जाहिर किया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से वाद खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की स्वीकार करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विवेचित किया है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनाम का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2018 के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की मांग की है, लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर उद्घोषणा की राहत तभी प्रदान की जा सकती है जब अन्य कोई तरीका बचा ही नहीं हों। यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहुत ज्यादा पुराना हो, क्रेता व विक्रेता में से किसी भी पक्ष की मृत्यु हो चुकी हो, तत्समय सहवन से या कानून की जानकारी के अभाव में या फ्रेगमेंट का नियम लागू होने के कारण नामान्तकरण नही भरा जा सका हो, क्रेता का तब से लेकर वर्तमान तक खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त हो। यह प्रकरण उपर्युक्त वर्णित किसी की श्रेणी में नहीं आता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नवीन है, जिसके अनुसार क्रेता तहसीलदार को आवेदन देकर नामान्तकरण दर्ज कराने की राहत प्रदान कर सकता है। इस विवेचन के साथ विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है। हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर